जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावर **दिनांक – 10.05.2025**

“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.05.2025 को वादी द्वारा थाना मण्डावर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.05.2025 को सुबह 06.00 बजे वादी का 10 वर्षीय पुत्र पढने के लिये मदरसा गया था, जोकि घर पर वापस नही आया। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु थाना मण्डावर पर टीम गठित की गयी।

कार्यवाही –

जनपद मे अपहृत / गुमशुदा व्यक्ति / बच्चों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम मे गठित टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 10.05.2024 को उपरोक्त गुमशुदा बच्चे को 16 घन्टे के अन्दर सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजौर।

2- मुख्य आरक्षी दीपक राणा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी अश्वनी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 10.05.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 109/25 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.05.2025 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि बालअपचारी द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 109/25 धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

बरामदगी विवरण-

घटना के समय बाल अपचारी द्वारा पहने गए कपडे।

पुलिस टीम –

1.श्री विरेन्द्र कुमार थाना प्रभारी किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 जगपाल सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी सन्नीराज तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.मुख्य आरक्षी अनुराग कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात दिनांक – 10.05.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 94/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम मे वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08/09.05.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1.मोमीन उर्फ मोबिन पुत्र नसीम व 2.नबील पुत्र नसीम निवासीगण सराय डड्ुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गौवंशीय अवशेष, अवैध शस्त्र व पशु वध करने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया था। मौके से इनका साथी अभियुक्त शकील उर्फ बूचा पुत्र नसीम निवासी सराय डड्ुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर फरार हो गया था। इस संबंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही विवरण

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त शकील उर्फ बूचा पुत्र नसीम निवासी सराय डड्ुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- अभियुक्त शकील उर्फ बूचा उपरोक्त थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है जिसके विरुद्ध गैंगस्टर, गुण्डा, गौवध अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट आदि गंभीर धाराओं मे करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शकील उर्फ बूचा पुत्र नसीम निवासी सराय डड्ुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त शकील उर्फ बूचा का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0 266/2011 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना जानसठ मुजफ्फरनगर।
2- मु0अ0सं0 267/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
3- मु0अ0सं0 444/2014 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नगीना बिजनौर।
4- मु0अ0सं0 52/2015 धारा 3/5(ए)/8 गौवध निवारण अधि0, धारा 11डी पशु परिक्षण अधि0, धार 3 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5- मु0अ0सं0 142/2017 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नगीना बिजनौर।
6- मु0अ0सं0 297/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना को0 देहात बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 135/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात बिजनौर।

8- मु0अ0सं0227/2023 धारा 10 गुणडा अधि0 धारा कोतवाली देहात बिजनौर।

9- मु0अ0सं0 08/2024 धारा 8/15 NDPS एक्ट को0 देहात जनपद बिजनौर।

10- मु0अ0सं0 94/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी संजय सोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी सुमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 10.05.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 156/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.05.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मानू पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर अपने अन्य 02 अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 156/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण –

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0स0 156/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मानू पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मानू पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी बोबी कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।